

# स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रेस नोट सं० 278, दिनांक-05-11-2020

**बेरोजगार युवक / युवतियों को विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी दिलाने का झाँसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 06 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक: 04-11-2020 को एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न सरकारी विभागों में पद व विभाग के अनुसार रू० 01 लाख से 15 लाख तक लेकर संविदा पर नौकरी दिलाने का झाँसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-**

- 1- सिद्धनाथ शाह पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद निवासी ग्रा० चैनपुर, पोस्ट शंकर पटखौली, थाना पटहेरवां, जनपद कुशीनगर। हाल पता सी-4114 से० 6 सपना कालोनी, राजाजीपुरम्, थाना तालकटोरा, जनपद लखनऊ।
- 2- धीरज कुमार मिश्रा पुत्र स्व० विशेश्वर दयाल मिश्रा, निवासी मोहल्ला रामनगर चरखारी, थाना चरखारी, जनपद महोबा। हाल पता एस-2, बी-09 बसेरा अपार्टमेंट, सेक्टर 8, अवध बिहार योजना, थाना पीजीआई, जनपद लखनऊ।
- 3- विकास प्रसाद उर्फ रोमी पुत्र स्व० होली प्रसाद निवासी अहिरवां, थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर। हालपता ई-1252 निकट रूपम चौराहा, राजाजीपुरम् थाना तालकटोरा, जनपद लखनऊ।
- 4- जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र नवीन सिंह निवासी ग्रा० बन्जरिया, थाना तरकोलवा, जनपद देवरिया। हाल पता मकान न० 16 न्यू नन्दी बिहार कालोनी, मल्हौर रोड, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ।
- 5- दूधनाथ कुशवाहा पुत्र श्री घरभरन कुशवाहा निवासी ग्रा० लाला गुरवलिया, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर। हाल पता गायत्री कालोनी से० 12 कृष्णानगर, थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ।
- 6- राकेश कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री अशोक त्रिपाठी निवासी ग्रा० खरिहानी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ। हाल पता डी- 4/329 विनीत खण्ड जनपद लखनऊ।  
(डायरेक्टर बीएसएन इन्फोटेक कम्पनी)।

**बरामदगी-**

1. 01 अदद लैपटाप।
2. 09 अदद मोबाइल।
3. 05 अदद एटीएम कार्ड।
4. 01 अदद निर्वाचन कार्ड।
5. 02 अदद पैनकार्ड।
6. 45 अदद सीवी बेरोजगार युवक/युवतियों के
6. नकद रू 471460/(चारलाख एकहत्तर हजार चार सौ साठ)।
7. 01 अदद कार टाटा टियागो (यूपी-32, एलए-6002)।
8. 01 अदद कार टरेनो (यूपी-32, जीएफ-2552)।

**गिरफ्तारी का स्थान व समय:-**

दिनांक: 04.11.2020, स्थान- विपुलखण्ड लखनऊ, समय: 20:05 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

इसी क्रम में मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया। अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि विशाल प्रजापति निवासी राजाजीपुरम्, लखनऊ द्वारा थाना गोमती नगर, जनपद लखनऊ में मु0अ0स0 870/2020 धारा 406/420/467/468/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया कि बीएसएन इन्फोटेक कम्पनी विपुल खण्ड-2 के माध्यम से सिद्धनाथ शाह व उसके गैंग के सदस्यों द्वारा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर संविदा पर नौकरी दिलवाने के लिए 25000/ रू एडवांस में लेकर 15 लाख रूपया में व मेरे मित्र अनुराग यादव को अयोध्या नगर निगम में संविदा पर नौकरी दिलवाने के लिए 10000/ रू एडवांस में लेकर 50000/रू में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ठगी की गयी है। उपरोक्त सूचना को अभिसूचना संकलन के माध्यम से विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 04/11/2020 को समय करीब 20:05 बजे गैंग के सरगना सहित उपरोक्त अभियुक्तों को विपुलखण्ड जनपद लखनऊ से एसटीएफ व थाना गोमती नगर की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार गैंग के सरगना सिद्धनाथ शाह ने बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है। हम लोग बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर पद के अनुसार 01 लाख रूपये से 15 लाख रूपये लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। इस काम में बेरोजगार युवक/युवतियों को समझा-बुझाकर रूपया देने के लिए राजी करने का काम मेरे साथ रोमी करता है। इसके बाद धीरज कुमार मिश्रा, जितेन्द्र कुमार व दूधनाथ कुशवाहा के साथ मिलकर राकेश कुमार त्रिपाठी डायरेक्टर बीएसएन इन्फोटेक कम्पनी जो आउट सोर्सिंग का काम करती है, से मीटिंग कराकर बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी दिलाने का विश्वास दिलाकर उनसे चतुर्थ श्रेणी के लिए रूपया पचास हजार से एक लाख, लिपिक संवर्ग/कम्प्युटर आपरेटर के लिए रूपया दो लाख से तीन लाख, सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के लिए रूपया पन्द्रह लाख में बात करते हैं व टोकन मनी के रूप में कुछ रूपया व उनके दस्तावेजों की एक प्रति लेकर उनको Whatsapp & Email के माध्यम से एक आवेदन पत्र भेजकर भरवाते हैं। इसके बाद उनका एक फर्जी इंटरव्यू संतोष सिंह, संचालक, बस्ती सिक्थोरिटी, राजीव पटेल संचालक गोरखा इन्फोटेक कम्पनी व राकेश कुमार त्रिपाठी डायरेक्टर बीएसएन इन्फोटेक कम्पनी में कराते हैं। इसके कुछ दिन बाद आवेदकों को कूटरचित नियुक्ति पत्र दे देते हैं। ठगी से प्राप्त रूपया हम लोग आपस में मिलकर बांट लेते हैं। जब बेरोजगार युवक/युवती नौकरी ज्वाइन करने पहुंचते हैं तो उनको वहां ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। इस कारण वो अपना रूपया वापस मांगते हैं तो हम लोग उनको कुछ दिन में नौकरी मिलने की बात कह कर टालते रहते हैं। अगर कोई आवेदक बार बार रूपया वापस मांगता है तो हम लोग उनको डरा धमका कर भगा देते हैं।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0स0 870/2020 धारा 406/420/467/468/504/506 भादवि में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।